न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 53 / 2018

RCMS Case No. 2018 / 00077

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थीः–**
सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर		भंवरसिंह पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत निवासी बाबरा तहसील रायपुर

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–:: आदेश ::–

दिनांक 12/6/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कोलपुरा पटवार मण्डल बाबरा तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 2623 / 12 रकबा 10 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 1458 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 रास्ता थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम बाबरा के नामान्तरकरण संख्या 1458 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी जैतारण ने अप्रार्थी के हक में सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर एवं विधि अनुरूप आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित आराजी पर अप्रार्थी ने लाखों रूपये लगाकर कृषि योग्य बनाया है तथा उस पर कृषि कार्य के उपयोग में ले रहा है। तहसीलदार रायपुर ने द्वारा आवेदन में तथ्यों को छुपाकर एक प्रिन्टेड प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों को भर कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं इनके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेजात् के अभाव में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम कोलपुरा पटवार मण्डल बाबरा तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 2623 / 12 रकबा 10 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 2623 गै0मु0 वाली है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उक्त भूमि तहसीलदार रायपुर द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 1458 के जरिये अप्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 2623 की किस्म गै0मु0 वाली थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत रास्ता आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी/नाला/वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है तथा कॉमन लैण्ड की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. वाली दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश दिनांक 20.04.1976 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम रायपुर II तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 1458 को निरस्त करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर पाली
अति.जिला कलेक्टर,पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)